भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †151

सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

क्षेत्रीय पर्यटन का संवर्धन

†151. श्री अनुराग शर्मा:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का वन कानूनों को सरल बनाकर क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर के प्राधिकारियों को पर्यटन के लिए विकसित किए गए वन क्षेत्रों के भीतर छोटे रास्तों और छोटे ढांचों के निर्माण की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): वन (संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम), 1980 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए किसी वन भूमि का उपयोग करने के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। इसलिए किसी भी जिला स्तरीय प्राधिकारी को गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए वन भूमि का उपयोग करने की मंजूरी देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने वन, वन्यजीव और अन्य पर्यावरणीय मंजूरी के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और संसाधित करने के उद्देश्य से PARIVESH ("प्रो एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाइ इंटरएक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरनमेंटल सिंगल विंडो हब") नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा जिस क्षेत्र में परियोजनाएं शुरू की जाती हैं, वहां की पारिस्थितिकी-संवेदनशीलता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) और राज्य सरकारों सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया जाता है।

*****